

जूम एप्लीकेशन के माध्यम से



जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों  
के समक्ष सुनवाई में शामिल होने की  
सरल प्रक्रिया

(A) स्मार्टफोन/टेबलेट उपयोगकर्ता हेतु



राजस्थान उच्च न्यायालय



माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा  
अधिकृत वीसी प्लेटफार्म  
जुम एप्लीकेशन (Zoom Meeting)  
के माध्यम से अधिवक्तागण एवं पक्षकार  
जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों  
के समक्ष  
सुनवाई में शामिल हो सकते हैं

आवश्यक साधन

- ✓ मोबाइल/टेबलेट/डेस्कटॉप/लैपटॉप
- ✓ समुचित इंटरनेट कनेक्शन
- ✓ न्यायालय की जुम मीटिंग ID अथवा VC लिंक

नोट: न्यायालय के निर्देशानुसार अथवा न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि, समय पर ही आप सुनवाई हेतु VC से जुड़ें

# सम्बंधित न्यायालय का VC लिंक कैसे प्राप्त करें?

- जिले के समस्त न्यायालयों की मीटिंग आईडी एवं VC लिंक जिला न्यायालयों की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं

<https://districts.ecourts.gov.in/rajasthan>




- न्यायालयों द्वारा VC लिंक E-mail, SMS अथवा Whatsapp के माध्यम से भी शेयर की जाएगी
- Zoom meeting Id अथवा VC लिंक प्राप्त करने हेतु आप सम्बंधित न्यायालय के स्टाफ अथवा सिस्टम ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं



न्यायालय के नाम अथवा न्यायालय के नाम के आगे प्रदर्शित मीटिंग लिंक पर केवल क्लिक टैप करके आप VC में शामिल हो सकते हैं



- प्रथम बार लॉगिन/ VC लिंक पर टैप करने पर आपको Zoom Meeting App डाउनलोड करना होगा




- Zoom App को प्ले स्टोर अथवा एप्पल स्टोर से डाउनलोड एवं इनस्टॉल करने हेतु आप Get पर क्लिक करें
- यह प्रक्रिया केवल एक बार संपन्न करनी होगी एवं यदि पहले से मोबाइल में Zoom Meeting App इनस्टॉल है तो इस चरण की आवश्यकता नहीं होगी

- Zoom App को प्ले स्टोर अथवा एप्पल स्टोर से डाउनलोड एवं इनस्टॉल करने के पश्चात App ओपन करें



- प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात Join Meeting पर क्लिक करें, Sign In करने की आवश्यकता नहीं है



# अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना विवरण (Display Name) सही-सही अंकित करें, उदाहरणार्थ :-

अधिवक्ता

- पूरा नाम

पक्षकार

- पूरा नाम

○ Preparing meeting...

Please enter your name

Cancel OK

○ Preparing meeting...

Please enter your name

Cancel OK

पछे जाने पर Camera & Microphone  
की permissions 'ALLOW' करना न भूलें

ALLOW CAMERA

ALLOW MIC


अब आप स्वतः VC से जुड़ जायेंगे, लॉबी / वेटिंग रूम सक्रिय रहेगा अतः सर्वप्रथम आप लॉबी / वेटिंग रूम में प्रतीक्षा करें, न्यायालय द्वारा एडमिट किये जाने पर आप सुनवाई में भाग ले सकेंगे



The host will let you in soon  
Sirohi DJ Court's Personal Meeting  
Room



अब आप स्वतः VC से जुड़ जायेंगे, लॉबी / वेटिंग रूम सक्रिय रहेगा अतः सर्वप्रथम आप लॉबी / वेटिंग रूम में प्रतीक्षा करें, न्यायालय द्वारा एडमिट किये जाने पर आप सुनवाई में भाग ले सकेंगे



Document Visualizer द्वारा अधिवक्तागण/पक्षकारान को दस्तावेज प्रदर्शित किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से दिखाई देगा।



3:01 79%

Zoom Leave

File Edit View Window Help

राज्य-पत्र

5.

अ. पुत्र / पुत्री की

पिता/माता

राज्य-पत्र / की है। में राज्य पुरस्कृत बनाने / करती है कि -

(1) में राज्य-पत्र जारी/जान जारी वरों की अधिकतम सूची में सम्मिलित जाती का / की सदस्य है।

(2) में उपरोक्त प्रकरणों की सदस्य हेतु आवश्यक प्रमाण / साक्ष्य उपलब्ध बनाने को तैयार है।

(3) में और मेरा परिवार अन्य राज्य से राज्य-पत्र प्राप्त में माईट्रेडिक्लिफिड होकर नहीं आते हैं।

(4) यह कि मेरे किसी भी पिता / प्रदाता में जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनकर है।

(5) यदि जाति प्रमाण पत्र की दोहरी/संशोधित प्रति हेतु आवेदन किया गया है तो ही अय्या नहीं।

(6) मेरे द्वारा पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र अन्ततः दिनांक द्वारा प्रकाशित है।

उक्त प्रमाण पत्र की दोहरी/संशोधित प्रति जारी करवानी है।

सत्यापन

हस्ताक्षर सत्यापित

में सत्यापित करता है/ करती है कि सूचना न 1 से 4 की उपर्युक्त विधिविधियों में संशोधन कराने और विवरण के अनुसार सही व सत्य है। द्वारा मेरा जारी है।

Mute Stop Video Share Participants More

# महत्वपूर्ण टिप्स

- सर्वप्रथम लॉबी / वेटिंग रूम में प्रतीक्षा करें, न्यायालय द्वारा एडमिट किये जाने पर आप सुनवाई में भाग ले सकेंगे, सुनवाई के दौरान हमेशा न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
- सभी प्रतिभागी कार्यवाही की गरिमा के अनुरूप **सोबर पोशाक** पहनें।
- न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर कार्यवाही की जाएगी। **समय की पाबंदी रखें**।
- प्रत्येक प्रतिभागी को समस्त **शिष्टाचार और प्रोटोकॉल** का पालन करना अनिवार्य होगा जैसे कि न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थिति के दौरान किया जाता है।
- हमेशा **माइक को म्यूट रखें**, केवल तब ही अनम्यूट करें जब आपको संबोधित करने की आवश्यकता हो, अपने **वीडियो को हमेशा ऑन रखें**।
- बेहतर ध्वनि अनुभव के लिए ईयरफोन-माइक का उपयोग करें।
- आपसे सम्बंधित प्रकरण की सुनवाई होने के पश्चात **मीटिंग लीव** करना न भूलें
- एक कक्ष में एक से अधिक व्यक्ति VC ज्वाइन न करें अन्यथा आवाज गूंजने लगेगी।
- बेहतर व्यू के लिए मोबाइल को पोर्ट्रेट  के स्थान पर लैंडस्केप  मोड में रखें।
- Zoom Meeting के अतिरिक्त न्यायालय द्वारा स्वीकृत अन्य माध्यमों से भी VC में जुड़ सकते हैं।

**धन्यवाद**